

25/11/16 - पत्राची पेज 5 वरील पत्रव्यवस्था
 अर्ध बरेच दगळा अर्धा प्रमाणित का
 त्या पर असाही निवेदन देवाला किता
 आता ये विल्ल किती दगळ वी लिखा जाळ
 आताही मिसल किता अर्धा पत्राची मेल
 अर्धा दगळ नवरा वी का वी

उपखर्च अधिकारी

दुद

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूद जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी- श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या: 05/2019

प्रार्थना पत्र दर्ज दिनांक : 23/01/2019

विर्णय दिनांक : 25/11/2019

1. अर्जुन पुत्र हरनाथ, जाति बागरिया, निवासी माल की ढाणी, दूद, तहसील दूद, जिला जयपुर, राज0।
2. भूली पत्नी हरनाथ, जाति बागरिया, निवासी माल की ढाणी, दूद, तहसील दूद, जिला जयपुर, राज0।

— प्रार्थीगण

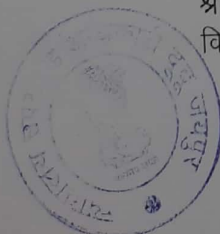
बनाम

1. कैलाशचन्द पुत्र कुन्दनमल, जाति खटीक, निवासी दूद, तहसील दूद, जिला जयपुर, राज0।
2. मोतीलाल पुत्र कुन्दनमल, जाति खटीक, निवासी दूद, तहसील दूद, जिला जयपुर, राज0।
3. रमेशचन्द पुत्र कुन्दनमल, जाति खटीक, निवासी दूद, तहसील दूद, जिला जयपुर, राज0।
4. मुकेश पुत्र कुन्दनमल, जाति खटीक, निवासी दूद, तहसील दूद, जिला जयपुर, राज0।
5. राकेश पुत्र कुन्दनमल, जाति खटीक, निवासी दूद, तहसील दूद, जिला जयपुर, राज0।
6. सुमित्रा बेन उर्फ सुशीला पुत्री कुन्दनमल, जाति खटीक, निवासी दूद, तहसील दूद, जिला जयपुर, राज0।
7. तहसीलदार तहसील दूद, जिला जयपुर, राज0।

— अप्रार्थीगण

— प्रार्थना-पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा —

उपस्थिति — श्री राजेन्द्र सिंह मण्डावरी
श्री संजय सिंह सिरौही
विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण



उपखण्ड अधिकारी
दूद

- निर्णय -

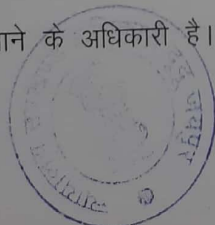
निर्णय दिनांक 25/11/2019

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना-पत्र विरुद्ध पुत्र एवं माता हैं। वर्तमान आराजी खतौनी संख्या 87 के आराजी खसरा नम्बर 3773 रकबा 1.4800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3779 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3780 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3781 रकबा 0.5500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3782 खसरा नम्बर 1525 मिन रकबा 0.6700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1526 मिन रकबा 0.82 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1528 मिन रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1528 मिन रकबा 0.55 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1528 मिन रकबा 0.15 हैक्टेयर वाके ग्राम दूदू तहसील दूदू जिला जयपुर में स्थित है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज चली आ रही है। प्रार्थीगण की पुश्तनी आराजी खतौनी संख्या 814 के आराजी खसरा नम्बर 1525 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 1526 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 1528 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम दूदू तहसील दूदू जिला जयपुर जो स्व0 हरनाथ पुत्र जगनाथ जाति बागरिया निवासी दूदू के नाम से दर्ज रही है। स्व0 हरनाथ ने अप्रार्थीगण के पिता स्व0 कुन्दनमल को विक्रय पत्र दिनांक 12.10.77 को जरिये खसरा नम्बर 1525 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 1526 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा का 3000/- रुपये रोकड़ी प्राप्त कर विक्रय कर दिया और मौके पर कब्जा संभला दिया। सम्पूर्ण आराजी का विक्रय कर दिया दर्ज नहीं किया है। प्रार्थीगण के पिता द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1528 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा का विक्रय पत्र नहीं बनवाया गया था लेकिन पटवार हल्का द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 12.10.77 के आधार पर नामांतरण संख्या 1057 के अंकन करते समय खसरा नम्बर 1525, 1526, 1528 तीनों खसरा नम्बर दर्ज कर दिये गये। और राजस्व रिकार्ड में जमाबंदी में अंकन कर दिया गया। प्रार्थीगण के पिता अनपढ़ गरीब व्यक्ति था जो राजस्व रिकार्ड में नहीं समझता था और न ही प्रार्थीगण ही पढ़े लिखे हैं इसलिए आज तक अपनी आराजी के राजस्व रिकार्ड बाबत अनभिज्ञ रहे हैं।



उपखण्ड अधिकारी
जयपुर

प्रार्थीगण ने जब अपनी आराजी पर ऋण लेना चाहा तो पटवार हल्का के पास जाकर दिनांक 15.01.19 को मालुम किया तो पटवार हल्का ने प्रार्थीगण के नाम कोई राजस्व रिकार्ड में आराजी नहीं होना जाहिर किया और बताया कि अप्रार्थीगण से प्रार्थीगण की पुश्तैनी शेष बची आराजी अप्रार्थीगण के नाम से ही चली आ रही है जबकि प्रार्थीगण को आराजी में से केवल दो खसरा नम्बर विक्रय करने की जानकारी थी और स्व० हरनाथ ने केवल दो ही खसरा नम्बर 1525, 1526 का विक्रय पत्र बनवाया था और उसके सम्पूर्ण आराजी का विक्रय पत्र नहीं बनवाया था। स्व० कुन्दनमल ने गलत रूप से खसरा नम्बर 1525, 1526 के साथ 1528 का नामांतरण अपने नाम से दर्ज करवा लिया और विक्रय पत्र की आड में प्रार्थीगण की आराजी को हडपने के लिए फर्जी रिकार्ड तैयार करवा लिया। स्व० कुन्दनमल के फौत होने पर विरासत का नामांतरण संख्या 1939 दिनांक 19.12.17 को जरिये अप्रार्थीगण के नाम से वर्तमान का इन्द्राज चला आ रहा है जिसके बने रहने से प्रार्थीगण को काफी सख्त हकतलफी है प्रार्थीगण अपनी पुश्तैनी आराजी से वंचित हो गये हैं आराजी से किसी प्रकार की सरकारी सुविधा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अप्रार्थीगण अपने नाम से दर्ज आराजी के आधार पर जबरन बेदखल करने पर उतारू हो गये हैं। प्रार्थीगण को स्व० कुन्दनमल जीवित रहा जब तक किसी प्रकार की कोई परेशानी पैदा नहीं की गयी क्योंकि स्व० कुन्दनमल को अपने द्वारा की गयी फर्जकारी की जानकारी थी इसलिए प्रार्थीगण के कब्जे में व्यवधान नहीं किया। और स्व० कुन्दनमल के विरासत का नामांतरण भरने के पश्चात अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को ऐलानिया धमकी दी कि आराजी खसरा नम्बर 1528 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा उनके नाम है इसलिए कब्जे से महरूम करेंगे एवं कब्जा नहीं छोड़ने पर आराजी को अन्य व्यक्ति को बैचान कर देंगे। अप्रार्थीगण द्वारा बेदखल की धमकी देने पर प्रार्थीगण ने पटवार हल्का के पास दिनांक 15.01.19 को जाकर मालुम किया तो विवादित आराजी प्रार्थीगण के नाम दर्ज नहीं होने की जानकारी हुयी जिससे यह वाद विरुद्ध प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण पेश किया जाना लाजिमी हुआ है। प्रार्थीगण के विरुद्ध अप्रार्थीगण के नाम से चला आ रहा इन्द्राज कानूनन निरस्तनीय है क्योंकि स्व० हरनाथ द्वारा स्व० कुन्दनमल जो अप्रार्थीगण का पिता रहा है को प्रार्थीगण के पिता स्व० हरनाथ ने आराजी खसरा नम्बर 1528 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा का विक्रय नहीं किया न ही उक्त आराजी का विक्रय पत्र में अंकन नहीं है। न ही मौके पर अप्रार्थीगण का कब्जा ही रहा है। प्रार्थीगण को गलत इन्द्राज से अप्रार्थीगण बेदखल करने पर आमादा है जिसके लिए प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के अधिकारी हैं। अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज चली आ रही आराजी



उपखण्ड अधिकारी

दूत

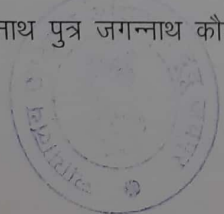
साबिक खसरा नम्बर 1528 वर्तमान खसरा नम्बर 3779, 3780, 3781, 3782 कुल किता 4 कुल रकबा 0.74 हैक्टेयर वाके ग्राम दूदू तहसील दूदू की प्रार्थीगण अपने नाम से कानूनन घोषणा करवाकर अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी होने से यह प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण पेश करना लाजिमी हुआ है।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना-पत्र के अन्य बिन्दुओं के साथ-साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही है कि "अतः प्रार्थना-पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ-पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थना-पत्र में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 3779, 3780, 3781, 3782 कुल किता 4 कुल रकबा 0.74 हैक्टेयर में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में बाधा कारित नही करे न स्वयं करे न अन्य से करावे। न विवादित आराजीयात को विक्रय, रहन, मुत्तकिल करे तथा राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे।"

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गयी। दिनांक 04/09/2019 को अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना-पत्र पेश हुआ, जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी संख्या 7 की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश नही करना जाहिर किया। विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान साक्ष्य पेश न कर सीधी बहस करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा, दस्तावेजात फोटो प्रति जमाबन्दी खतौनी संख्या 87, मिलान क्षेत्रफल, फोटो प्रति नामान्तरकरण संख्या 1057, फोटो प्रति नामान्तरकरण संख्या 1051, फोटो प्रति विक्रय-पत्र दिनांक 12/10/1977 वाके ग्राम दूदू एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना-पत्र का गहनता से अवलोकन किया। अवलोकन से यह स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि हाल जमाबन्दी खाता संख्या 87 के खसरा नम्बर 3773, 3779, 3779, 3780, 3781, 3782 में खातेदारी ना0स0 1939 के द्वारा कुन्दन की विरासत अप्रार्थीगण कैलाशचन्द, मोतीलाल, रमेशचन्द, मुकेश, राकेश पि0 कुन्दनमल, सुमित्रा बेन उर्फ सुशीला के नाम से दर्ज है, उक्त हाल खसरा नम्बर 3773, 3779, 3779, 3780, 3781, 3782 के साबिक खसरा नम्बर 1525, 1526, 1528 है, जो मिलान क्षेत्रफल से साबित हैं। विक्रय-पत्र दिनांक 12/10/1977 की फोटो प्रति के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 1525, 1526 का ही बैचान प्रार्थीगण के पिता हरनाथ पुत्र जगन्नाथ कौम बागरिया के द्वारा अप्रार्थीगण के पिता कुन्दनमल को किया



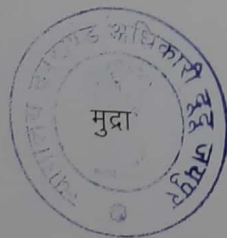
उपखण्ड अधिकारी

दूदू

जाना पाया जाता है, लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में यह कथन किया गया कि खसरा नम्बर 1525, 1526 के साथ-साथ 1528 का भी विक्रय-पत्र दिनांक 12/10/1977 के द्वारा बैचान किया गया है, चूंकि दोनों पक्षों के मध्य विक्रय की गयी आराजी को लेकर विरोधाभास है तथा अभी न्यायालय के समक्ष यह स्थिति स्पष्ट नहीं हो पायी है कि वास्तव में किन खसरा नम्बरान का बैचान किया गया है तथा अब तक न्यायालय के समक्ष मूल विक्रय-पत्र भी पेश नहीं हुआ है, जिससे यह स्पष्ट स्पष्ट हो सके कि वास्तव में किन खसरा नम्बरान का बैचान किया गया है। इसलिये उक्त स्थिति मूल वाद के निस्तारण के वक्त तय होनी है, लेकिन चूंकि आराजीयात वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, इसलिये अप्रार्थीगण दौराने वाद आराजीयात को हस्तान्तरण कर सकते हैं, इसलिये न्यायहित में यह प्रतीत होता है कि प्रकरण में पक्षकारान के मध्य मौके पर किसी प्रकार का विवाद नहीं हो एवं राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार से फेरबदल नहीं हो, इसलिये न्यायहित में अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है, इस प्रकार प्रथम प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति तीनों बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल है, जिनको प्रार्थीगण ने बखूबी साबित किया है, ऐसी स्थिति में यह न्यायालय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाना उचित समझती हैं।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मूल वाद पाबन्द किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 3779, 3780, 3781, 3782 कुल किता 04 कुल रकबा 0.74 हैक्टेयर वाके ग्राम दूदू, तहसील दूदू में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में बेजा मजाहमत न स्वयं करें न अन्य से करावें तथा विवादित आराजीयात को रहन, बेय, हस्तान्तरण नहीं करें तथा राजस्व रिकार्ड व मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 25/11/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
दूदू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
दूदू